


मी लार्ड!! थानों में CCTV तभी लगेंगे जब आप पुलिस थानों में लगे अवैध AC बंद करवाओगे।



पुलिस कस्टडी में मौत मामले में चरू एसपी एपीओ, सीओ सस्पेंड

चरू | सरदारशहर में सात जुलाई को पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में सरकार ने शुक्रवार देर रात चरू एसपी राजेंद्र कुमार को एपीओ और सरदारशहर सीओ भंवरलाल मेधवाल को सस्पेंड कर दिया। एसपी राजेंद्र कुमार ने इससे पहले थानाधिकारी सहित 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। इसके अलावा 26 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था। सरकार ने इस मामले की जांच करवाई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि युवक नेमीचंद के साथ थाने में मारपीट की गई। उसकी भाषों को भी हिरासत में लिया

एसपी राजेंद्र कुमार
सीओ भंवरलाल

मामले में चरू एसपी व सीओ को लापरवाही मानी गई कि उन्होंने गंभीर मामले को हल्के में लिया।
युवक की भागी का आरोप- पुलिसकर्मियों ने सामूहिक दुष्कार भी किया - पढ़ें पेज 7

बाइक चोरी का आरोप बिना गिरफ्तार हवालात में मिले युवक को छोड़ा

पत्रिका न्यूज नेट
जयपुर, खो नाम में मञ्जुलाल की बवाल में पुलिस करतूत सामने मिले युवक को छोड़ा था। युवक हवालात में ही गिरफ्तारी भी न ही उसके खिलाफ दर्ज था। र किरोड़ीलाल मी पर पहुंचे और युवक ने उनसे मामले का खुल मीणा ने यह माम पुलिस के आल सामने रखा

परिजन का आरोप : अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए पुलिस ने हत्या कर पेट्रोल डाल शव को जलाया

26/08/20

पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला (07/09/20) कार्यवाहक एसएचओ समेत तीन निलंबित, मांगरोल थाना लाइन हाजिर

बाग @ पत्रिका, मांगरोल थाने में युवक की विषाक्त के सेवन से बुधवार देर रात हुई मौत के मामले में कार्यवाहक थाना प्रभारी, मामले के जांच अधिकारी व इट्टी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इनके अलावा थाने में परदव्य पूर स्टॉक को सुरत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह करवाई महानिरीक्षक पुलिस के आदेश की फलना में की गई है। एसपी केएल मीना ने कार्यवाहक थाना प्रभारी चंदमान सिंह, जांच अधिकारी प्रदीप सिंह व इट्टी अधिकारी जॉकिर हुसैन को निलंबित किया गया है। मांगरोल थाने में परदव्य एक सहायक उपनिरीक्षक व पांच हेड कॉन्स्टेबल समेत 25 कॉन्स्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है।

परिजन को 25 लाख मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक चवन विलावर, संदीप शर्मा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सेठी, पूर्व विधायक हीरालाल नागर, हेमराज मीणा ने कहा कि पुलिस ने गिरिराज की थाने में पिटाई की।

नहीं लिया शव, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात


बाग, गिरिराज की मौत के मामले में दूसरे दिन शुक्रवार शाम तक मृतक के परिजन शव संभालने को राजी नहीं हुए। भाजपा के जांच दल में शामिल विधायकों व पार्टी नेताओं ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया तथा दोषी पुलिसवालों को बर्बाद करने व मृतक के



SC seeks status report on CCTVs at police stations

Attempts To Curb Human Rights Abuse

Dhananjay.Mahapatra
@timesgroup.com



New Delhi: The Supreme Court on Wednesday asked chief secretaries of all states and Union Territories to furnish within two months status of CCTV installation in all 16,000 police stations across the country, even though many of them lack vehicles, phones, wireless sets and facilities for drinking water and clean toilets.

A bench of Justices R F Nariman, Navin Sinha and Indira Banerjee said, "We wish to know the exact position as to CCTV cameras in police stations as well as the constitution of oversight committees in accordance with our April 3, 2018 order."

There are around 10,000-odd police stations in rural areas and over 5,000 in urban areas. India has a police force of nearly 23 lakh, of which only six lakh have got family accommodation.

The bench said, "We also expect the chief secretary of each state and Union Territory to take this matter seriously and in right earnest since it involves the fundamental rights of the citizen under Article 21 of the Constitution of India. The data to be furnished to this court positively before the next date of hearing, November 24."

On April 3, 2018, the court

In a 2018 order, the SC had discussed setting up of oversight bodies to regularly go through the CCTV footage from police stations and recommend remedial measures to states

had dealt with issues relating to use of videography by police while investigating a crime scene and policemen using body cameras, as is the practice in western countries, to stop hooligans from indulging in unlawful behaviour. However, it had focused on installation of CCTV cameras in police stations and prisons to check human rights abuse. It had also discussed setting up of oversight bodies to regularly go through the CCTV footage from police stations and recommend remedial measures to states.

The bench accepted amicus curiae Sidharth Dave's

suggestion to focus only on installation of CCTV cameras in police stations for the present.

A bench, of which Justice Nariman was a part, had in 2018 favoured equipping the police with videography tools for investigation as well as controlling law and order situations. "We are of the considered view that notwithstanding the fact that as of now, investigating agencies in India are not fully equipped and prepared for the use of videography, the time is ripe that steps are taken to introduce videography in investigation, particularly for crime scene as desirable and acceptable best practice as suggested by the committee of the MHA to strengthen the rule of law. We approve the centrally driven plan of action prepared by the committee and the timeline as mentioned above. Let the consequential steps for implementation thereof be taken at the earliest," it had said.

Full report on www.toi.in

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी थानों में CCTV लगाने के आदेश को दोहराया, सभी राज्यों को दो महीने में पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा

दिलीप के.बासु बनाम स्टेट ऑफ़ वेस्ट बंगाल मामले में दिनांक 24 जुलाई 2015 को दिए गए निर्णय में जस्टिस टी.एस. ठाकुर और आर.भानुमति की डबल बेंच ने सभी राज्यों को 2 साल के अंदर सभी जेलों में कैमरे लगाने के साथ साथ सभी पुलिस थानों में भी निर्धारित समय अंतराल में कैमरे लगाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जेलों और पुलिस थानों में हो रहे मानवाधिकार हनन के मामलों और पुलिस हिरासत में बढ रही मौतों की संख्या को देखते हुए दिया गया था।

ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए दिनांक 16/09/2020 को सुप्रीम कोर्ट की वृहद पीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 2 महीनों में देश के 16000 थानों में CCTV कैमरों की लगे होने, उनके सुचारू रूप से चलने आदि की जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होनी है।

CCTV खराब होने से पपला गुर्जर की फरारी का राज दफ़न

राज्य के बहुचर्चित पपला गुर्जर की फरारी मामले में 64 पुलिस कर्मियों को हटाया गया, जांच से पता चला कि इस थाने में कैमरे तो लगे हैं परंतु कई दिनों से खराब हैं। जाहिर है पुलिस अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए CCTV नहीं लगवाती, जहाँ पर लगे हैं उन्हें भी जानबूझकर ठीक नहीं करवाया जाता या फिर खराब कर दिया जाता है।

राजधानी जयपुर के थानों में नहीं है CCTV

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी थानों में कैमरे लगाने के आदेशों के सन्दर्भ में गत वर्ष हमारे द्वारा जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरों की संख्या, लगे होने नहीं लगे होने की जानकारी और उनके चालु हालत में होने की स्थिति के बारे में सूचना चाही थी।

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचनाओं से इस बात का खुलासा हुआ कि जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों जयपुर ईस्ट, वेस्ट, नार्थ और साउथ में आने वाले सभी थानों में से महज 3-4 में ही कैमरे लगे हुए हैं जो भी खराब होने के कारण बंद हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जयपुर कमिश्नरेट के किसी भी थाने में CCTV नहीं है। (गत वर्ष की सूचनाओं के अनुसार)



थाने बने उगाही के अड़े मानवाधिकारों की कब्रगाह

आज कल महीने में एक दो बार तो हमें पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के समाचार अखबारों में पढ़ने को मिल जाते हैं। पुलिस की यह वहशियाना हरकत आज की नहीं है बल्कि बरसों से चली आ रही है। जैसे कि पहले आम इंसान थाने जाने के नाम से ही कांपता था और चार बड़े आदमियों को अपने साथ ले जाता था, वही हालात आज भी कायम हैं, आज भी हम और आप जैसे व्यक्ति थाने जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। दरअसल पुलिस थाने अब न्याय के नहीं अपराध, भ्रष्टाचार के अड़े बन गए हैं इतना ही नहीं इन्हें मानवाधिकारों की कब्रगाह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपराधियों, रसूखदारों और इन पुलिस वालों के राजनैतिक आकाओं के सिवा किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं है जो थाने में जाकर इन्हें आप से तू भी बोल दे। अधिकतर समय इन थानों के SHO चापलूसों, दलालों और अन्य असामाजिक तत्वों से घिरे रहते हैं और यदि कोई आम आदमी अपनी फरियाद लेकर थाने में आ जाये तो उसे घंटों बाहर बैठा रहना पड़ता है। यही कारण है कि देश के न्यायालयों में इस्तगसे से FIR दर्ज करवाने का चलन बढ़ा है।

डी.जी.पी. के अनुसार इस साल तक लगने थे सभी थानों में CCTV

अपने एक बयान में गत वर्ष डी.जी.पी. भूपेन्द्र यादव द्वारा बताया गया था कि अगले साल तक बजट घोषणा से पहले राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगवा दिए जायेंगे। देखते ही देखते एक साल भी बीत गया है परन्तु कहीं कैमरे



लगने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। राज्य की माली हालत को देखते हुए लगता नहीं की सरकार इस मद में खर्चा करने में सक्षम होगी परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना हो पड़ेगा।

धारा 151; उत्पीडन का हथियार

देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बावजूद पुलिस की तानाशाही कम होने की बजाय बढ़ रही है। IPC की धारा 151 पुलिसिया अत्याचार की नयी कहानी बन कर उभरा है। पुलिस इस धारा का उपयोग बदला लेने की कार्यवाही के तौर पर करती नजर आ जाती है। पुलिस वालों से उलझो तो 151 में बंद, किसी एक पक्ष को सताना हो तो 151 में बंद, किसी से पैसे ऐंठने हो तो 151 में बंद।

धारा 186 का मनमाना दुरुपयोग

धारा 186 यानी राजकार्य में बाधा का आरोप, यदि कोई परिवादी थाने के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है और अपने मन का गुबार निकालने लगता है तो शांत प्रवृत्ति के यह शांतिदूत उसके खिलाफ राजकार्य का केस लगा देते हैं, फिर बेचारा परिवादी अपने परिवाद के साथ साथ इस झूठे केस के लिए भी चक्कर लगाता है।

जयपुर कमिश्नरेट में तैनात एक SI जो कि अभी भांकरोटा थाने में तैनात है, इस धारा के दुरुपयोग के लिए बदनाम है। यह महाशय जिस थाने में जाते हैं 3-4 मामले इस धारा में लगाते ही लगाते हैं।

परन्तु राजधानी के सभी थानों के थानाधिकारियों के कमरों में लगे है एयरकंडीशनर,किसने लगाये पता नहीं।

यदि आप राजधानी जयपुर में अपने पास के थाने में जाकर देखेंगे तो आपको इन थानों के SHO के रूम में तो AC देखने को मिलेगा ही मिलेगा इक्का दुक्का(कमाई वाले थानों में) और देखने को मिल जायेंगे। अब आप पूछेंगे कि किसी सरकारी कार्यालय में AC लगने में क्या बुराई है तो जनाब, आपको जानकर हैरत होगी कि आज तक राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस थानों में AC लगाने की कभी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति ही नहीं दी गयी है। दरअसल यह सारे AC थाने की ऊपरी कमाई से लगाये गए है। कोड में खाज का दूसरा उदाहरण यह है कि भ्रष्टाचार की कमाई से लगे इन सभी एयरकंडीशनरों के बिजली का बिल सरकारी खजाने से जमा होता है। जो की हम जैसे आम आदमी की जेब पर बोझ है। इन अवैध एयरकंडीशनरों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इन AC के कारण SHO अपने इलाके में गस्त पर नहीं

जाते और अपना अधिकांश समय थाने में इस AC के नीचे बैठकर बिताते है। अब AC रूम में बैठे थानाधिकारी को भला अपने क्षेत्र की वास्तविक जानकारी कैसे होगी। इसका नुकसान यह होता है कि थानाधिकारी अपने अधीनस्थ द्वारा सुझाये और बताये गए विवरण और अन्य जानकारियों के आधार पर ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो कर फरियादियों/परिवारियों और लोकअप में बंद बंदी के साथ अपना व्यवहार और निर्णय तय करता है, यह थानाधिकारी

आदेश आते ही अधिकारियों के गर्मी से पहले छूटे पसीने अब 7600 पे ग्रेड वाले ही अधिकारी ऐसी के होंगे पात्र

एक के लिए अधिकृत अधिकारी और सरकारी दफ्तरों में AC के दुरुपयोग की कहानी



कुम्भलगढ़ तहसील ऑफिस कार्यालय में कार्यालय समय में एल आर ऑफिस में एसी में नौद निकालती चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी।
तहसीलदार सीट पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ए.सी. में निकाल रहे नौद



AC में प्राप्त हुए अपने ज्ञान को अपने उच्चाधिकारियों को जस का तस परोस देते है, चूँकि इनके उच्चाधिकारी भी AC कमरों और गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते है अतः पूरा सिस्टम न्याय करने की बजाय न्याय को तोड़ने मरोड़ने में लग जाता है। आपको वैशालीनगर में थाने के सामने होने दुष्कर्म पीडिता द्वारा किये

गए आत्मदाह का मामला याद होना चाहिए जिसमे राज्य के जिम्मेदार मंत्री द्वारा भी AC रूम में बैठ कर बयान देने वाले बयानवीरों की रटी रटाई भाषा को ही विधानसभा में पेश कर दिया था।

मेरी शिकायत पर जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा 29 विभागों को पत्र लिखकर अवैध AC हटाने को कहा परन्तु आज दिन तक कोई AC नहीं हटा। जिन कार्यालयों में ऊपर की कमाई ज्यादा है वहां पर बड़ी संख्या में AC लगे हुए है, नगर निगम उदयपुर में ही 60 AC लगे हुए है। उदयपुर पुलिस द्वारा आज तक ना तो कोई सुचना दी गयी और ना ही कोई पुख्ता कार्यवाही की है।

श्री शांति लाल मेहता, वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, इस मामले को उठाने वाले RTI कार्यकर्ता

क्या हो हल?
थानों में होने वाली मानवाधिकार हनन की घटनाओं को रोकने का सीधा तरीका यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अक्षरतः पालना की जाए साथ ही पुलिस थानों में लगे सभी अवैध एक को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।